

Form No. III

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा (अलवर)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सत्यवीर बनाम जिलेसिंह वगै०

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
वाद पत्र - 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
वाद संख्या 134/वर्ष 2022

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

ख हुक्म

3.2022

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण वास्ते तलबी प्रतिवादीगण के रजिस्टर्ड ए०डी० के नोटिस तलबाने पेश करे। पत्रावली दिनांक 29.04.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी,  
तिजारा (अलवर)

29/4/22

आज पत्रावली पेश हुई।...उपस्थित।  
पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार वास्ते...को पेश हो।

14/07/22

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

आज पत्रावली पेश हुई।...उपस्थित।  
पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार वास्ते...को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

13/09/22

आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ  
द्वारा कार्य स्थगन किया है। अतः पत्रावली  
दिनांक...को पेश हो।

14.10.22

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

आज पत्रावली पेश हुई।...उपस्थित।  
पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार वास्ते...को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

आज पत्रावली पेश की प्रकाश लगाई गयी। बार-2 प्रकाश लगाने पर  
वादी व वादी धांचे अनुपस्थित। प्रती वादी सा वाद अदम  
हाजरी। पत्रकी में छारिज किया जाता है। पत्रावली बार  
निर्णय तस्मील तंगर से रुफ होकर दाजिल दफ्त हो।

उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर)